**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2322**

**13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**अत्यधिक-प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की लेबलिंग**

**†2322. श्री पुट्टा महेश कुमारः**

**श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः**

**श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः**

**श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः**

**क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अत्यधिक-प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान देश में अत्यधिक-प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर अंकुश लगाने के लिए कौन से नियामक, नीतिगत और प्रवर्तन संबंधी कदम उठाए गए / उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने अत्यधिक-प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए किसी फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग, ग्रेडिंग या रेटिंग प्रणाली की शुरुआत की जांच की है/प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की

उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उसकी तैयारी, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र एवं राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने वसा, नमक और चीनी की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के समाधान के लिए 'आज से थोड़ा कम' नामक जागरुकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान उपभोक्ताओं को आहार में बदलाव के जरिए उनके वसा, नमक और चीनी का सेवन कम करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

एफएसएसएआई ने 'ईट राइट इंडिया' अभियान के तहत सोशल मीडिया पर "हर लेबल कुछ कहता है" नामक एक जागरूकता अभियान भी शुरु किया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता और स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना है। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य लेबल की जानकारी बढ़ाकर सूचित आहार संबंधी विकल्प चुनने में सक्षम बनाना है। खाद्य लेबल में उत्पाद के पोषण संबंधी महत्व, सामग्री और संभावित एलर्जी कारकों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी होती है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें पूर्व-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की लेबलिंग से संबंधित व्यापक प्रावधान दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन एवं संतुलित आहार) विनियम, 2020 भी अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें स्कूल अधिकारियों को स्कूल परिसर में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और साथ ही स्कूल परिसर के भीतर और आसपास संतुलित आहार को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देश भर के उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारी वर्ष भर विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूना प्रतिचयन करते हैं, ताकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के तहत निर्धारित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों और अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच की जा सके।

******